न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/2735 /2004/अलवर</u>

1– सुरेशचन्द पुत्र अमीचन्द पुत्र सेडूराम ब्राह्मण

2– महेश पुत्र अमीचंद पुत्र सेडूराम ब्राह्मण

निवासी जोनायचा खुर्द, बहरोड़, जिला अलवर।

–अपीलांटस

बनाम

1– श्रीराम पुत्र सेडूराम (मृतक) जरिए वारिसान–

1– मु0 इन्द्रावती पत्नी श्रीराम

2– रामबाबू पुत्र श्रीराम

3– रमेश पुत्र सेडूराम

4– दिनेश पुत्र सेडूराम

निवासी जोनायचा खुर्द, तहसील बहरोड़, जिला अलवर।

2– राजस्थान राज्य सरकार जरिए उपपंजीयक नीमराणा।

–रेस्पोर्डेंटस

<u>खण्डपीठ</u>

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता अपीलांट।

अधिवक्ता रेस्पो0 अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–31.10.2022

अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 29/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है रेस्पो0/वादीगण के पति/पिता मृतक श्रीराम ने एक वाद घोषणा पत्र, इन्द्राज दुरूस्ती, हुक्मइन्तनायी दवामी का अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक जिलाधीश, बहरोड़ में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 1758 रकबा 0.37 है0 जो साबिक खसरा नंबर 1222 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बना है। खसरा नंबर 1222 संवत् 2020 से पूर्व खसरा 595 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बना है जो आराजी मुतनाजा है । आराजी मुतनाजा बंदोबस्त संवत् 2020 से पूर्व निस्फ हक वादी के पिता सेडूराम का था जिसे बाहमी तौर पर बांट लिया था, जिसके मुताबिक पूर्व का हिस्सा जगन्नाथ का, पश्चिम का हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण के पिता अमीचंद काश्त करते रहे व अब भी पश्चिम की हिस्सा मुस्तर्का तौर पर वादी व प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है । बंदोबस्त संवत् 2020 में वादी की आराजी मुतनाजा साबिक नंबर 595 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के कायम हाल नंबर 1222 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में तन्हा प्रतिवादीगण के पिता अमीचंद का नाम दर्ज कर दिया गया जो वादी का बड़ा भाई है जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य के रूप में कर्ता था । अतः यह दुरूस्ती की जाकर वादी को निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया

जावे । परीक्षण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2003 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 के पिता का वाद खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण ने प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2004 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3– हमनें अपीलांटस के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी।

4– अपीलांटस के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपील अधिकारी ने आदेश 41 नियम 31 की कतई पालना व तनकीवार निर्णय नहीं देकर न्यायिक भूल की है। अपील अधिकारी ने संवत् 2010 की जमाबंदी का भली–भांति अवलोकन नहीं किया। विवादग्रस्त भूमि कॉलम नं. 5 में अमीचंद, श्रीराम का बराबर हिस्सा दर्ज है, वे खातेदार नहीं है क्योंकि यह भूमि ऐसी प्रतीत होती है कि जमींदारी बिस्वेदारी की है जैसा कि कॉलम नं. 3 व 4 में स्पष्ट रूप से दिया है। वादीगण की ओर से सं. 2012 की जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि संवत् 2012, 2013 जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन हुआ उस समय राजस्व अभिलेख में जमाबंदी की क्या स्थिति थी, यह उन्हें साबित करना था, जो उन्होंने साबित नहीं किया इसी वजह से परीक्षण न्यायालय ने वाद निरस्त

किया था। असल में पक्षकारान के मध्य 40–45 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा हो गया था । संवत् 2020 में जब बंदोबस्त हुआ विवादग्रस्त खसरा नं0 595 मिन रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जिसके नए ख0नं0 2020, 2022 बने, पर अमीचंद काबिज काश्त था और यह भूमि काबिज काश्त व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात् बंदोबस्त 2042 में हुआ और नए ख0नं0 1758 रकबा 37 एयर दर्ज किए गए। उस समय भी अमीचंद और उसके वारिसान अपीलकर्ता काबिज काश्त थे। इस कारण उनका नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हुआ। जमाबंदी कब्जे को दर्शाती है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने आर0आर0डी0 1974 पेज 454 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। वादीगण की ओर से जो वाद प्रस्तुत किया गया उसे एवं वादीगण के गवाह रामबाबू पुत्र श्रीराम के शपथ बयानों को पढ़ने में भी भूल की है। दावे के पैरा नं0 6 में वादीगण स्वयं कह कर आए है कि आराजी मुतनाजा को बाहमी तौर पर वादी अकेला काश्त करता है। रामबाबू पुत्र श्रीराम ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि खसरा नं0 1758 का 1/2 भाग पश्चिम में उनका पिता काश्त करता है तथा 1/2 भाग पूरब में प्रेम, कैलाश पुत्रान बनवारी पुत्र जगन्नाथ काश्त करते है। विवादग्रस्त ख.नं. उन्हें बाहमी बंटवारें में मिला है और मृतक श्रीराम वगैरह को अन्य खेत ख.नं. दिए गए थे जो उसने रहन बमुन्तकिल कर दिए। विवादित आराजी खसरा नं. 595 मिन रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा सं. 2020 में ख.नं. 1222 बना जिसका रकबा 1 बिघा 13 बिस्वा बना जो अकेले अमीचंद पुत्र सेडूराम के नाम दर्ज है। इन्द्राज कब्जे के आधार पर और बहामी बंटवारे के आधार पर हुआ है। यह इन्द्राजात आज तक चला आ रहा है। दो बंदोबस्त गुजर जाने के पश्चात् तथा वादीगण के मन में बदनियती आ जाने के कारण

30–35 साल बाद दावा दायर किया गया है जिसका कोई स्पष्टीकरण दावे में मृतक श्रीराम ने दर्ज नहीं किया है बल्कि दावे में यह स्वीकार किया गया कि बहामी बंटवारे में यह विवादित आराजी उसके कब्जे काश्त में है। सर्वप्रथम तो उन्हें यह सिद्ध करना है कि यह सम्पति पैतृक है, पैतृक सम्पति तब होगी जब उनके दादा वगैरह खातेदार होगें । अपीलीय न्यायालय ने संवत् 2010 की जमाबंदी को मानकर निर्णय किया है । संवत् 2010 की जमाबंदी देखने से पता चलता है कि यह भूमि अमीचंद, श्रीराम के बहिस्से बराबर हिस्सेदार दर्ज है, हिस्सेदार खातेदार नहीं होता है। इससे पूर्व कॉलम संख्या 3 व 4 देखना आवश्यक है । तद्पोरांत टिनेन्सी स्पष्ट होगी । अपीलांट/प्रतिवादी ने जवाबदावे में विस्तृत रूप से यह कथन किया कि यह विवादित आराजी उन्हें बंटवारे में मिली है तथा श्रीराम को अन्य खेत खसरा नंबर दिए गए थे जो उसने रहन ममुन्तकिल कर दिए परन्तु उसकी नियत खराब हो गई तो वह पुराने रिकार्ड के आधार पर यह दावा लेकर आया है ।

श्रीराम ने यह दावा सं. 2048 में किसी और इन्द्राजाज संवत् 2020 के इंद्राजात के आधार पर पेश किया है। 28 वर्ष तक रिकार्ड की स्थिति का उन्हें ज्ञान न हो ऐसा संभव नहीं है। राज0काश्त0अधि0 1955 में प्रभाव में आया जिसका सं0 2012 होता । जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम सं. 2013 में समाप्त हुआ उस समय राजस्व अभिलेख की क्या स्थिति रही इसका कोई साक्ष्य वादीगण के पास नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि दावा दायरी से 40–45 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका था तथा काश्तकारी अधिनियम आने के समय विवादग्रस्त भूमि पर अकेला अमीचंद काबिज काश्त था और जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन के समय भी वहीं काबिज काश्त था तथा 2020 की बंदोबस्ती में लगातार काबिज होने से उक्त खसरा नं0

का खातेदार दर्ज किया गया जो कि सही किया गया है। न्यायालय ने इस बिन्दु को अनदेखा किया कि इस भूमि के अन्य सह खातेदार काश्तकार भी रहे है जिन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। लेकिन वादीगण द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। न्यायालय ने सं0 2010 की जमाबंदी को ही आधार मान कर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का सही रूप से प्रयोग नहीं कर तनकीवार निर्णय नहीं कर सरसरी तौर पर वाद डिक्री किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2004 को निरस्त करते हुए सहायक जिलाधीश, बहरोड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–01–2003 को यथावत् रखा जावें।

5– हमनें योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पो0 ने न्यायालय सहायक जिलाधीश, बहरोड़ के समक्ष वाद अंतर्गत दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इंद्राजात एवं हुक्म इम्तनाई दवामी का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 1758 रकबा 0.37 है0 जो साबिक खसरा नंबर 1222 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बना है तथा खसरा नंबर 1222 नंबर से 2020 से पूर्व खसरा नंबर 595 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाकै मोजा जोनाय से बने है । आराजी मुतनाजा बंदोबस्त संवत् 2020 से पूर्व वादी के पिता सेडूराम के नाम दर्ज थी जिसे बाहमी तौर पर बांट लिया था जिसके मुताबिक पूर्व का हिस्सा जगन्नाथ, पश्चिम का हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण के पिता अमीचंद काश्त करते रहे । किन्तु बंदोबस्त संवत् 2020

में वादी की आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नंबर 595 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से कायम हाल खसरा नंबर 1222 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा तन्हा प्रतिवादीगण के पिता अमीचंद के नाम दर्ज कर दिया जो वादी का बड़ा भाई हैजो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य के रूप में कर्ता था । अतः यह इंद्राज दुरूस्त किया जाकर निस्फ हिस्सा वादी के नाम एवं निस्फ हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावे । परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण ने परीक्षण न्यायालय में उपस्थिति प्रदान की तत्पश्चात् दिनांक 8.12.1997 को जवाबदावा पेश किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2020 को वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम की गई तत्पश्चात् प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 24.01.2003 को निर्णय पारित कर वादी का वाद विवादित आराजियात के समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर खारिज किया है । परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01. 2003 के विरूद्ध वादीगण/रेस्पो0 द्वारा भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2004 को वादीगण/रेस्पो0 की अपील एवं वाद को इस आधार पर स्वीकार किया है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 595 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व अमीचंद, श्रीराम पुत्रान सेढूराम का 1/2 हिस्सा भाग था, परन्तु भू–प्रबंध कार्यवाही दौरान उक्त आराजी खसरा नंबर 595 के 1/2 हिस्से को अकेले अमीचंद पुत्र सेढूराम की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया । इसके बाद राजस्व अभिलेखों में उपरोक्तानुसार ही प्रविष्टियां दर्ज होती हो आ रही है । परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परीक्षण

न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में आवश्यक तनकियात कायम की गई थी किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद को निर्णित करने हेतु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्रावली जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वाद में कितनी तनकियात कायम की गई थी। आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के अनुसार वाद में प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण किया जाकर निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है । वाद में आवश्यक तनकियात कायम किये जाने के बावजूद परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01. 2003 को निरस्त कर वादी/रेस्पो0 का वाद प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण पारित किए बिना निर्णय दिनांक 17.06.2004 को वादी का वाद डिक्री । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज कर पारित निर्णय व डिक्री के तथ्य को नजरअंदाज कर वादी/रेस्पा0 का वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलीय न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर अपना विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर निर्णय पारित करना चाहिये था अथवा प्रकरण को तनकीवार निर्णित पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिये था । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

6– परिणामत् अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2004 एवं सहायक जिलाधीश, बहरोड़, जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2003 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण सहायक जिलाधीश, बहरोड़, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित करे ।

7– अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य